फा.स.एम-**15/1/2018-**एमएफपी प्रभाग

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,

नई दिल्ली-110049

दिनांक: 15 .01 .2020

विषय: ª ऑपरेशन ग्रीन्स**"** स्कीम के लिए प्रचालन दिशानिर्देश।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम-ª ऑपरेशन ग्रीन्स" - टमाटर, प्याज एवं आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला एकीकृत विकास स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा ऑन-लाइन आंमत्रित किए जाते है।

2. ª ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम के दिनांक 05/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019 और 20/09/2019 प्रचालन दिशानिर्देशों के क्रम में इन दिशानिर्देशों को स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से पणधारियों से प्राप्त हुए फीडबैक और परामर्श के आधार पर पुन: संशोधित किया गया है।

ª ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देश सभी पणधारियों एवं आम जनता की जानकारी के लिए संलग्न हैं।

संलग्न- यथोक्त

(श्याम सुंदर अग्रवाल)
उप-निदेशक
दूरभाष: 011-26406545
ई-मेल: .ssagrawal.icoas@gov.in

ª ऑपरेशन ग्रीन्स" – **15** जनवरी, **2020** के अनुसार

टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी)

के एकीकृत विकास के लिए

स्कीम के दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-**110049**

1. स्कीम:

केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज #), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर एक नई स्कीम "ऑपरेशन ग्रीन्स" की घोषणा की गई थी। तदनुसार, मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला एकीकृत विकास स्कीम तैयार की है।

एफपीओ किसानों द्वारा पंजीकृत एवं शासित निकाय है और यह संगठन कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में कार्यकलापों पर केंद्रित किया जाएगा। एफपीओ या तो कंपनी अधिनियम अथवा विभिन्न केंद्र एवं राज्य सहकारी समिति कानूनों (कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार) के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है।

2. उद्देश्य:

ª ऑपरेशन ग्रीन्स" के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:-

i. टीओपी उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को मजबूत करने एवं उन्हें बाजार के साथ जोड़कर लक्ष्ययीत उपायों द्वारा टीओपी किसानों की मूल्य उगाही बढ़ाना।

ii. टीओपी क्लस्टरों में समुचित उत्पादन योजना से उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित स्कीम के साथ अभिसरण के माध्यम से दोहरी उपयोग की किस्में शुरू करना।

iii. खेत स्तर पर अवसंरचना का सृजन, उपयुक्त कृषि लॉजिस्टिक्स का विकास, उपभोग केंद्रों को जोड़ते हुए उपयुक्त भंडारण क्षमता सृजित करके फसलोत्तर हानियों में कमी करना।

iv. खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं और उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सृजित करके टमाटर, प्याज और आलू मूल्य श्रृंखला में मूल्य वृद्धि।

v. टीओपी फसलों की स्थानीय भरमार नियंत्रित और रोकने के लिए क्षेत्रीय और मौसमी आधार पर मांग तथा आपूर्ति व मूल्य संबंधी वास्तविक समय आंकड़ों को एकत्र करने और मिलान करने के लिए बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना करना।

3. रणनीतियां:

स्कीम में मूल्य स्थिरीकरण उपायों (अल्पकालिक) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घकालिक) की द्विमुखी रणनीति होगी।

3.1 मूल्य स्थिरीकरण के उपाय

i. उत्पादन की भरमार की स्थिति में, यथा निर्धारित निम्नलिखित द्वारा अधिशेष उत्पादन को उत्पादन क्षेत्रों से निकालकर उपभोग केंद्रों तक ले जाया जाएगा:

क) जब कीमतें फसल कटाई के समय औसत बाजार मूल्य के पिछले 3 वर्षों के मूल्य से नीचे चली जाएंगी;

ख) जब कीमतें फसल कटाई के समय पिछले वर्ष के बाजार मूल्यों की तुलना में 50% से अधिक गिर जाएंगी;

ग) जब कीमतें निर्धारित अवधि के दौरान राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए बैंच मार्क, यदि कोई हो, से भी नीचे चली जाएंगी।

ii. टीओपी फसलों से संबंधित बाजार आसूचना, मांग का पूर्वानुमान, भावी मूल्यों के बारे में किसानों को सलाह देने के लिए एक समर्पित एजेंसी बनाई जाएगी। इस बाजार आसूचना के आधार पर, निम्नलिखित उद्देश्य पूरे किए जाएंगे:-

(क) समय से बाजार हस्तक्षेप हेतु आपूर्ति परिदृश्य की मॉनिटरिंग करना।

(ख) चक्रवातीय अवस्था में होने वाले उत्पादन से बचने की किसानों को सलाह।

(ग) शीघ्र चेतावनी प्रणाली।

(घ) त्वरित प्रक्रिया फोरम (उदाहरण के लिए उपज को ग्लट क्षेत्र से शीघ्र हटाना)।

(ङ) निर्यात-आयात निर्णय लेना।

3.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं

i. प्रायोगिक परियोजनाएं एकीकृत मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए मुख्य उत्पादक राज्यों (सूची संलग्नक **–I** में दी गई है) राज्यों में प्रत्येक टीओपी फसल के लिए अभिज्ञात क्लस्टरों में कार्यान्वित की जाएंगी। खेत स्तरीय अवसंरचना और मुख्य प्रसंस्करण सुविधाएं संलग्नक-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित क्लस्टरों के भीतर अवस्थित होने चाहिए।

ii. उत्पादन क्लस्टरों का नक्शा उनकी उत्पादकता, किस्मों, मौजूदा अवसंरचना, बाजार के साथ लिंकेजों और मौजूदा मूल्य श्रृंखला तथा भावी विकास हेतु उनकी सामर्थ्य के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

iii. उत्पादन क्लस्टरों में किसानों को टीओपी फसलों के उत्पादन, फसलोत्तर कार्यकलापों मूल्यवर्धन और विपणन का प्रबंधन करने एफपीओज में शामिल किया जाएगा। विद्यमान किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता भी उपयुक्त प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक प्रबंधन सहायता के माध्यम से बढ़ाई जाएगी।

iv. खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, आपूर्ति श्रृंखला आपरेटरों, रेटेल चेन इत्यादि द्वारा 'संविदा' तथा संविदा कृषि को सहायक खेत स्तरीय अवसंरचना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

v. टीओपी फसलों के लिए बाजार का विकास ब्रांड निर्माण, खुदरा आउटलेटों की स्थापना और वितरण चैनल द्वारा किया जाएगा।

vi. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन उद्योग को अपने कार्यकलापों को इनपुट आपूर्ति, यांत्रिकीकरण, उत्पादन की नई प्रौद्योगिकियों के प्रारंभ और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना व इन जिन्सों की आपूर्ति को खपत क्षेत्र से जोड़कर अवसंरचना एवं भंडारण सुविधाएं सृजित करके उत्पादन के साथ जोड़ने में शामिल किया जाएगा।

vii. मूल्यों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख शहरों के निकट मौसमी भंडारण हेतु वृहत अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. पात्र परियोजना घटक**:**

नोडल एजेंसी और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिन पात्र घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है वे निम्नानुसार हैं:-

4.1 मूल्य स्थिरीकरण उपाय

i. मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नाफेड नोडल एजेंसी होगा। उत्पादन की भरमार अवस्था में, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से, टीओपी फसलों को उत्पादन अधिशेष क्षेत्रों से पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से निकाला जाएगा तथा इसे उत्पादन अथवा खपत केंद्रों के निकट किराए के माल-गोदाम/शीतागार में रखा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित दो घटकों की लागत की 50% की दर से सब्सिडी देगा:-

क) टीओपी फसलों की उत्पादन क्षेत्र से भंडारण स्तर तक परिवहन के लिए;

ख) टीओपी फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाएं किराए पर लेना।

ii. स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र संस्थाओं को दी जाएगी:

क. फसल कटाई के समय तद्नुरूपी अवधि में पिछले 3 वर्ष के औसत बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों से सीधी खरीद (भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा) ;

ख. स्थानांतरण पर अधिकतम 250 किलोमीटर की दूरी पर विचार किया जाएगा (मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं द्वारा किसानों से खरीद को छोड़कर जिसके मामले में न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर होगी) ;

ग. अभाव वाले क्षेत्र में भंडारण खपत केंद्रों के निकट किया जाना चाहिए।

iii. नाफेड टीओपी फसलों की मांग एवं आपूर्ति प्रबंधन हेतु ई-प्लेटफार्म का सृजन करके रख-रखाव करेगा जो बाजार आसूचना एकत्र करेगा, मांग का पूर्वानुमान बताएगा, भावी मूल्यों आदि के बारे में किसानों को सूचना देगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस प्रयोजन हेतु प्रशासनिक खर्चों में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

4.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं

क. <u>किसान उत्पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण</u>

i. टीओपी के लिए चुने गए क्लस्टरों में नए एफपीओज बनाना;

ii. किसानों और एफपीओज के प्रोत्साहन कार्यकलाप, प्रशिक्षण/कार्यशाला;

iii. एफपीओज और संघ के लिए व्यावसायिक प्रबंधन सहायता;

पात्र लागत एसएफएसी के मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा कुल पात्र परियोजना लागत की 5% होगी।

पीआईए एफपीओज की क्षमता निर्माण और मजबूती के लिए एसएफएसी/नाबार्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सहायता प्राप्त करेगा।

ख. <u>गुणवत्ता उत्पादन-</u> गुणवत्ता उत्पादन हेतु निम्नलिखित घटकों को एमआईडीएच स्कीम और अन्य स्कीमों के साथ समन्वित किया जाएगा जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रहीं हैं। _

i. गुणवत्ता इनपुटों जैसे कि बीजों के लिए उपबंध;

ii. नर्सरी और ग्रीन हाऊसों की स्थापना;

iii. संरक्षित कृषि पद्धति की स्थापना;

iv. कृषि पद्धतियों का यांत्रिकीकरण;

v. संविदा कृषि को प्रोत्साहन देना;

vi. बाजार के आधार पर किस्मगत परिवर्तन।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई प्रौद्योगिकी, उत्पादन और गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति तथा किसानों की क्षमता निर्माण के प्रदर्शन के लिए भारत –इजरायल सहयोग के अंतर्गत 28 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र उत्पादन क्लस्टरों से जोड़े जा सकते हैं और इनसे प्रौद्योगिकी उपायों को लेवरेज किया जा सकता है।

पीआईए वाणिज्यिक बागवानी स्कीम और किसी भी अन्य स्कीम जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकता है।

ग. खेत स्तर पर- फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं

i. खेत स्तर पर उपयुक्त भंडारण;

ii. एकत्रण केंद्र (सीसी)/पैक गृह;

iii. प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे कि छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाएं;

iv. लघु गौण प्रसंस्करण – कोई भी यांत्रिकीकृत और मोबाइल प्रसंस्करण सुविधाएं;

घ. मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर- फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं

I. शीतागार;

II. छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं के साथ पैक हाउस;

III. गौण प्रसंस्करण लाइन;

ड. कृषि लॉजिस्टिक्स

i. एकीकृत मल्टीमोड उपयुक्त परिवहन;

ii. रैकिंग अथवा बिना रैकिंग और नियंत्रित ताप वाले हवादार ट्रक;

iii. क्रेटें/रैकें इत्यादि ;

च. विपणन/खपत केंद्र

i. एकत्रीकरण/बाजार स्तर पर उपयुक्त भंडारण सुविधाएं;

ii. छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाएं;

iii. खुदरा दुकानों की स्थापना;

iv. ई-बाजार अवसंरचना का सृजन;

4.3 परियोजना के विभिन्न घटकों में लगभग निम्नानुसार निवेश सीमा होनी चाहिए:

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार घटक	सीमा (कुल परियोजना लागत का %)
क. किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता का निर्माण करना- किसानों और एफपीओ कार्यकारी अधिकारियों को केवल प्रशिक्षण तथा एफपीओ का पंजीकरण/निगमन	**1%** (न्यूनतम)
ख. गुणवत्ता उत्पादन	**20%** (न्यूनतम)
ग. फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं #	
खेत स्तर पर (मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर सुविधाओं के अलावा)- पीपीसीज, शीतागार, लघुत्तर गौण प्रसंस्करण प्रणाली इत्यादि।	
मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर (सभी शामिल-शीतागार, ग्रेडिंग-छंटाई प्रणाली, गौण प्रसंस्करण प्रणाली, उपयोगिताएं, भूमि इत्यादि)	**50%** (अधिकतम) अधिकतम अनुदान **25** करोड़ रुपए
घ. कृषि-लॉजिस्टिक्स	
ङ. विपणन/खपत केंद्र	

मुख्य प्रसंस्करण स्थल और सभी खेत स्तरीय अवसंरचना अभिज्ञात क्लस्टरों के भीतर अवस्थित होनी चाहिए।

4.4 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्कीम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अन्य कोई घटक/नवीन उपाय, परंतु जो ऊपर शामिल नहीं किए गए हैं मामले की मैरिट की आधार पर स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा पात्र घटक माने जा सकते हैं।

4.5 स्कीम के तहत जिस अवसंरचना को सहायता दी जानी है उसकी वास्तविक प्रकृति संबंधित टीओपी क्लस्टर की आवश्यकता के आधार पर निश्चित की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तेज गति से बढ़ रहा है और अनेक नवीन भंडारण, परिरक्षण एवं न्यूनतम प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रहीं हैं जिनको प्रोत्साहन देकर लोकप्रिय बनाया जाएगा।

4.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा परियोजना को स्वीकृति दिए जाने से पहले पीआईए द्वारा किया गया कोई भी व्यय पात्र परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगा।

4.7 पीआईए के राज्य/केंद्र सरकार की एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने की स्थिति में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)/तकनीकी परामर्श की लागत परियोजना की एक पात्र घटक मानी जाएगी। परंतु ऐसी लागत परियोजना की पात्र अनुदान राशि के 2% (करों को मिलाकर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. पात्र संगठन:

5.1 मूल्य स्थिरीकरण उपायों के लिए – नोडल एजेंसी (एनए)

टीओपी फसलों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए उपायों को लागू करने हेतु नाफेड नोडल एजेंसी होगा यह उत्पादन एवं खपत केंद्रों पर परिवहन एवं उपयुक्त भंडारण की हायरिंग के लिए पारदर्शिता के मानदंडों के आधार पर पात्र संस्थाओं जैसे मौजूदा राज्य विपणन संघ, सहकारी संघ, एफपीओज/एफपीसीज/किसान समूह/उत्पादक समितियां/एग्रीगेटर्स, केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जैसे कॉनकोर), निजी परिवहन/कृषि लॉजिस्टिक्स/मालगोदाम आपरेटर,आपूर्ति श्रृंखला आपरेटर जो टीओपी फसलों के परिवहन/मालगोदाम रखने/विपणन में लगे हुए हैं का पैनल बनाएगा।

5.1.1 नोडल एजेंसी (एनए) की जिम्मेदारी:

i. नोडल एजेंसी वास्तविक समय मूल्य तथा मांग/आपूर्ति आंकड़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन एमआईएस प्रणाली बनाएगा ताकि मूल्य स्थिरीकरण के लिए सुविज्ञ उपाय किया जा सके। इसके आधार पर, उत्पादन की भरमार के दौरान, नोडल एजेंसी परिवहन और भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने का विवरण देते हुए प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। पर्याप्त अध्यवसाय के पश्चात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच के पश्चात अनुमोदन दिया जाएगा।

ii. नोडल एजेंसी अल्पकालीन मूल्य स्थिरीकरण उपायों को करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पात्र एजेंसियों का पैनल बनाएगी।

iii. नोडल एजेंसी को सहायता को केंद्र और राज्य सरकारों की प्रासांगिक स्कीमों के साथ समन्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

iv. नोडल एजेंसी पैनलगत एजेंसियों के दावों के निपटान के पश्चात परिवहन और भंडारण की हायरिंग हेतु अग्रिम की राशि सब्सिडी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गईं निधियों के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।

5.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए – परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए)

i. राज्य कृषि एवं अन्य विपणन फेडरेशन्स, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, स्व-सहायता समूह, कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स, सेवाप्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला आपरेटर्स, खुदरा एवं थोक श्रृंखलाएं तथा केंद्र और राज्य सरकारें व उनकी संस्थाएं/संगठन कार्यक्रम में भाग लेने और वित्तीय

सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे । कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता से कोई भी कार्य करने वाले कोई संगठन अथवा संगठन समूह अथवा व्यक्ति परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) कहे जाएंगे ।

ii. पीआईए में 100% हिस्सा रखने वाले एससी/एसटी प्रमोटरों से प्राप्त हुए प्रस्तावों को एससी/एसटी प्रस्ताव माना जाएगा । पीआईए के एफपीओ होने की स्थिति में यदि एससी/एसटी प्रमोटर का पीआईए में 51% का हिस्सा होगा तो इसे एससी/एसटी प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा । एससी/एसटी प्रस्तावों को एफपीओज के बराबर माना जाना चाहिए जहां तक अनुदान सहायता की प्रतिशतता संबंधी उपबंधों और ईएमडी, निवल मूल्य मानदंडों एवं इक्विटी/सावधि ऋण के अंशदान जैसी अन्य शिथिलताओं का संबंध है ।

5.2.1 पीआईए के लिए पात्रता मानदंड**:**

i. पीआईए के प्रमोटर (रों)/प्रस्तावित शेयरधारकों की सम्मिलित निवल संपत्ति मांगी गई अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए । पीआईए में प्रत्येक सदस्य (किसान उत्पादक संगठनों और एससी/एसटी के अलावा) की निवल संपत्ति उसके प्रस्तावित इक्विटी अंशदान की कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए ताकि प्रत्येक शेयरधारी से परियोजना के लिए अपेक्षित अंशदान सुनिश्चित किया जा सके ।

केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उपक्रमों के मामले में, निवल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मूल्य मानदंड लागू नहीं होंगे बशर्ते कि इक्विटी अपनी निधियों अथवा केंद्र/संबंधित राज्य सरकार से पूरी की जाए

ii. शुद्ध चालू परिसंपत्तियों के रूप में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए और पीआईए को परियोजना कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध तारीके से प्रमोटर के अंशदान जुटाने की क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए ।

iii. पीआईए को इक्विटी अंशदान के रूप में कुल परियोजना लागत के कम से कम 20% (एफपीओज एवं एससी/एसटी के लिए 10%) और खेत स्तर पर भंडार एवं पैकगृह जैसी छोटी सुविधाओं के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण को छोड़कर फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधा, कृषि संभार तंत्र तथा विपणन/उपभोग केंद्रों की कुल लागत के कम से कम 20% (एफपीओज और एससी/एसटी के लिए 10%) आकर्षित करने की आवश्यकता है । यदि पीआईए राज्य सरकार की संस्था हो, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया ऋण भी स्कीम के अंतर्गत वैध सावधि ऋण माना जाएगा ।

iv. पीआईए में अधिकतम इक्विटी धारण करने वाला प्रमोटर अग्रणी प्रमोटर होगा । परियोजना का सामयिक और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहित सभी पणधारियों के साथ समन्वय करने के लिए मुख्य रूप से अग्रणी प्रमोटर जिम्मेदार होगा ।

v. परियोजना के लिए भूमि पीआईए द्वारा या तो खरीद पर अथवा कम से कम 15 साल के पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी । वरीयता ऐसे पात्र प्रस्तावों को दी जाएगी जहां आवेदक के पास अभिज्ञात क्लस्टर में मुख्य प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए अपेक्षित भूमि हो ।

vi. कोई भी संस्था/आवेदक जिसने मंत्रालय की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है वह भविष्य में स्कीम के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र तभी माना जाएगा जब उसने उस परियोजना के सफल प्रचालन का एक वर्ष पूरा कर लिया हो।

5.2.2 पीआईए की जिम्मेदारियां**:**

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का निरूपण और परियोजना का पारदर्शी, दक्ष एवं समयबद्ध तरीके से निष्पादन।

ii. भूमि की खरीद करना/ अधिप्राप्ति (पट्टा अवधि 15 वर्ष या उससे अधिक) करना तथा परियोजना के लिए बाहरी अवसंरचना से जुड़ाव सुनिश्चित करना।

iii. परियोजना को शुरू करने एवं प्रचालन करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृतियों, यदि कोई हों, समेत वैधानिक अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्राप्त करना।

iv. परियोजना कार्यान्वयन का उपयुक्त रूप से लेखा-जोखा रखना तथा परियोजना शुरू होने के उपरांत अवसंरचना तथा सामान्य सुविधाओं का रख-रखाव।

v. परियोजना के चित्रों/फोटोग्राफ्स समेत मासिक प्रगति रिपोर्ट को मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करना।

vi. निर्धारित समय- सीमा में परियोजना का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।

vii. स्कीम के अंतर्गत अनुदान सहायता प्राप्त करना और पारदर्शी तरीके से एवं सूझबूझ के साथ उसका उपयोग सुनिश्चित करना।

viii. पीआईए प्रमुख खपत केंद्रों के निकट बड़े पैमाने पर भंडार और संभार तंत्र अवसंरचना सृजित करने के लिए केंद्र/राज्य के पीएसयू के साथ समन्वय कर सकता है। इसके लिए केंद्र/राज्य के पीएसयू को पात्र लागत की 50% की दर से परंतु अधिकतम 25 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. सहातया का पैटर्न**:**

6.1 मूल्य स्थिरीकरण उपायों हेतु**:**

फसल कटाई के समय सब्सिडी के रूप में 50% परिवहन लागत और उपयुक्त भंडारण सुविधाएं हायर करने के लिए 50% राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भंडारण सुविधाएं अधिकतम 4-6 महीने के लिए हायर की जाएंगी। नाफैड

पात्र संगठनों को इस घटक के अंतर्गत सब्सिडी का संवितरण करने के लिए नोडल एजेंसी होगा । परिवहन एवं वेयरहाऊसिंग पर सब्सिडी के लिए लागत मानदंड संलग्नक-VI में दिए गए हैं ।

6.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए

i. चूंकि स्कीम में टीओपी मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है इसलिए इसमें एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना के अंतर्गत ऊपर क से ड. (पैरा 4.2) पर सूचीबद्ध सभी घटक होने ही चाहिए । फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना की अनिवार्य घटक होंगीं। गौण प्रसंस्करण सुविधाओं को समाहित करने वाली परियोजनाओं को चयन में वरीयता दी जाएगी। परियोजनाएं सभी क्षेत्रो में प्रति परियोजना पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से परन्तु अधिकतम 50 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पात्र होंगीं । परन्तु, जिन मामलों में पीएआई किसान उत्पाद संगठन एफपीओज है/ एससी/एसटी हैं उन मामलों में प्रति परियोजना सभी क्षेत्रो में पात्र परियोजना लागत की 70% की दर से परन्तु अधिकतम 50 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता होगी।

ii. पात्र लागत में भूमि की लागत और प्रचालन पूर्व व्यय शामिल नहीं होगे । उन घटकों की पात्र लागत की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लागत मानदडं निम्नानुसार होगे:

क. किसान उत्पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण- एसएफएसी मानदंड;

ख. गुणवत्ता उत्पादन- एमआईडीएच मानदंड (कृषि मंत्रालय द्वारा पूरे किए जाएंगे)।

ग. फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं- एमआईडीएच मानदंड । जहां एमआईडीएच मानदडं उपलब्ध नहीं है वहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अंतर - मंत्रालयी अनुमोदन समिति के अनुमोदन से लागत मानदंड निर्धारित करेगा ।

घ. कृषि संभार तंत्र- एमआईडीएच मानदंड । जहां एमआईडीएच मानदडं उपलब्ध नहीं है वहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति के अनुमोदन से लागत मानदंड निर्धारित करेगा ।

ङ. विपणन एवं संग्रहण केन्द्र- एमआईडीएच मानदंड । जहां एमआईडीएच मानदडं उपलब्ध नहीं है वहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति के अनुमोदन से लागत मानदंड निर्धारित करेगा ।

iii. हालांकि, ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजना के कुछ घटक मेगा फूड पार्क / कृषि- प्रसंस्करण क्लस्टर में स्थापित किए जा सकते हैं परन्तु, ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के अंतर्गत उपर्युक्त घटकों के लिए अनुदान देय नहीं होगा ।

6.3 एमओएफपीआई/नाफेड/ राज्य सरकारें, यदि आवश्यक हो, तो स्कीम के अंतर्गत प्रशासनिक व्ययों के लिए कुल वार्षिक आंवटन का अधिकतम 5% उपयोग कर सकते है।

7. सहायता का समन्वयन**:**

7.1 मूल्य स्थिरीकरण उपायों हेतु

नोडल एजेंसी (नाफेड) को केन्द्र और राज्य सरकारों की संगत स्कीमों के साथ सहायता का समन्वयन करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए जैसे

i. भरमार के दौरान प्याज और टमाटर के बाजार मूल्य स्थिर करने के लिए राज्य सरकार की स्कीमें उदाहरण के लिए, हरियाणा, कर्नाटक आदि में पीडीपीएस (मूल्य अभाव भुगतान प्रणाली)।

ii. उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लागू किया गया मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), जिसमें अभिहित एजेंसियों के माध्यम से प्याज और टमाटर के प्रसंस्करण को स्थिर करने के लिए बाजार उपाय किए जाते हैं।

7.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए**:**

I. किसान उत्पादक संगठनों के विकास, खेत से लेकर उपभोक्ता तक आधुनिक अवसंरचना तथा कार्यक्षम आपूर्ति /मूल्य श्रृंखला के सृजन से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमें है। संभव होने पर, केन्द्र सरकार की ऐसी मौजूदा स्कीमों/ राज्य सरकारों की एजेंसियों जैसे एसएफएसी, नाफेड, एनसीडीसी, नाबार्ड इत्यादि के अतंर्गत उपलब्ध लाभों को मिलाने और समन्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।

II. संबधित राज्य का मिशन डायरेक्टर (राज्य बागवानी मिशन) और संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) तकनीकी समिति (मिशन) में सदस्य होंगें, जो स्कीम के बेहतर समन्वय और समय से कार्यान्वयन के लिए स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। तकनीकी समिति (मिशन) द्वारा परियोजना के मूल्यांकन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात, राज्य का संबंधित मिशन डायरेक्टर (राज्य बागवानी मिशन) प्रस्तावित परियोजना के संगत घटकों को कृषि, सहकारिताओं एवं किसान कल्याण विभाग की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना में समाविष्ट कर सकता है।

iii. खाद्य प्रसंस्करण उद्येाग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना भी चला रहा है। जिसके निम्नलिखित घटक :

क. मेगा फूड पार्क;

ख. एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना;

ग. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना;

घ. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार;

ङ. पश्च एवं अग्र लिंकेज सृजन;

च. गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना –खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, एचएसीसीपी

छ. मानव संसाधन तथा संस्थान –निफ्टेम, आईआईएफपीटी, बोर्ड, आरएंडी, प्रोत्साहन, कौशल विकास।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय परियोजना की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिसरण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक होने पर पीएमकेएसवाई के स्कीम दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन कर सकता है। परंतु, पीएमकेएसवाई और इस स्कीम के अंतर्गत पीआईए को अनुदान दोबारा नहीं दिया जाएगा।

8. राज्य सरकार की सहायता:

राज्य सरकारें क्लस्टर में एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना की स्थापना करने में पीआईए को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगी। राज्यों की सक्रिय भागीदारी निम्नलिखित हेतु आवश्यक है:-

i. राज्य सरकार के सचिव स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित करना;

ii. इन क्लस्टरों में स्थापित की जाने वाली एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना सुगम बनाना;

iii. प्रत्यक्ष खरीदारी और नवप्रवर्तनकारी विपणन मॉडलों को प्रोत्साहन देने के लिए टीओपी फसलों के लिए एपीएमसी अधिनियम/विनियमों के प्रावधनों से चयनित क्लस्टरों को छूट देना;

iv. भरमार की अवधि के दौरान टीओपी फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाएं हायर करने में नाफैड (स्वयं अपने अथवा अन्य सहकारी संघों, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों इत्यादि के माध्यम से) का सुगमीकरण;

v. निम्नलिखित क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों तथा किसान समूहों को क्रेडिट उपलब्ध कराना:

क. कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी

ख. ब्याज अनुदान

ग. बैंकों तथा नाबार्ड की सहायक संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी ।

vi. प्रचलित नियमों के अनुसार अनिवार्य अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त करने में पीआईएज की सहायता करना।

9. कार्यान्वयन प्रक्रिया:

9.1 मूल्य स्थिरीकरण उपायों हेतु आवेदनों की प्राप्ति:

9.1.1 राज्य सरकार के सचिव (कृषि/बागवानी/कोई अन्य संगत विभाग) उस राज्य के विशिष्ट क्लस्टर/जिलों में अल्पकालिक उपायों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को (निर्धारित प्रपत्र -संलग्नक-X) में आवेदन करेंगे जिसमें वह चल रही भरमार की स्थिति में अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित मूल्य सूचना देंगे ।

9.1.2 किसी क्षेत्र में चल रही भरमार की स्थिति के बारे में प्राप्त विश्वस्त सूचना के आधार पर नाफेड के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए हस्ताक्षेप किया जाना ।

9.2 एकीकृत मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं के लिए आवेदन की प्राप्ति

9.2.1 स्कीम मांग के आधार पर परियोजना मोड में कार्यान्वित की जाएगी । पात्र संगठनों को अपने परियोजना प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजने होंगे जिनका वह समुचित मूल्यांकन और निर्धारण के पश्चात अनुमोदन करेगा । मंत्रालय परियोजना के मूल्यांकन/निर्धारण/मॉनिटरिंग में अपनी सहायता के लिए संगत क्षेत्र में अनुभव रखने वाली ख्याति प्राप्त पेशेवर एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है ।

9.2.2 स्कीम के अंतर्गत पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक को मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल (http://sampada- mofpi.gov.in/Operation Greens) पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसके साथ वह निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

i विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जिसमें परियोजना के तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रबंधन पहलू शामिल होंगे (संलग्नक-**V** के अनुसार) । आवेदक को डीपीआर तैयार करते समय जीवन चक्र लागत (एलसीसी) पर विचार करना चाहिए ।

ii बैंक/वित्तीय संस्थान से अंतिम सावधि ऋण स्वीकृति

iii बैंक/वित्तीय संस्थान का विस्तृत मूल्यांकन नोट

iv आवेदक फर्म के निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र, कंपनी के मामले में ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद/सोसायटी, सहकारी समिति, स्व-सहायता समूह के उप-नियम/पंजीकृत साझेदारी विलेख इत्यादि

v प्रस्तावित प्रमोटर (रों)/शेयरधारकों/पीआईए के सदस्यों का उनके संपर्क ब्यौरे सहित बायोडाटा/पृष्ठभूमि/अनुभव

vi पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अथवा सीए का प्रमाण-पत्र

vii संलग्नक-iv के अनुसार पीआईए से से वचन-पत्र

viii किसानों से वापसी खरीद की व्यवस्था के लिए पीआईए एवं किसान उत्पादक संगठन बोर्ड/शासी निकाय के संकल्प की प्रति

ix संलग्नक-**vii** के अनुसार सीए/विधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

x मुख्य अभियंता (सिविल) का प्रमाण-पत्र **[**संलग्नक-**viii]** तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) का प्रमाण-पत्र **[**संलग्नक-**ix]**

xi प्रमोटर (रों)/शेयरधारकों/पीआईए के सदस्यों की निविल संपत्ति के समर्थन में दस्तावेज

क. कंपनियों के मामले में निवल संपत्ति की गणना कंपनीज अधिनियम **2013** में निवल संपत्ति की परिभाषा के आधार पर की जाएगी। परंतु पुनर्मूल्यन रिजर्व को निवल संपत्ति का हिस्सा तभी माना जा सकता है जब कंपनी की लेखापरीक्षित बैलेंश शीट में उसे दर्शाया गया हो तथा उसे कंपनी की लेखापरीक्षित बैलेंश शीट में लगातार दिखाया जाता रहेगा।

ख. निवल संपत्ति का हिस्सा होने वाली भूमि/भवन के मामले में**,** भू-स्वामित्व दस्तावेजों का स्व-प्रमाणित अग्रेंजी/हिन्दी पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सर्किल दरों के आधार पर अचल संपत्ति का राज्य के सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

ग. सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के मामले में**,** निवेश के मूल्य की गणना करते समय शेयर के बाजार मूल्य का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

घ. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के निवेश के मामले में, संपूर्ण अनुसूची और उसका हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों के साथ नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जिसे वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो प्रस्ततु किया जाएगा ताकि उस कंपनी में शेयरों के मूल्य की गणना की जा सके।

ङ. विविध संपत्तियों और उनके मूल्य की गणना का आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे संबंधित सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया हो और उसके अनुमोदित मूल्यांकक का ब्यौरा दिया जाएगा।

च. उपर्युक्त मूल्यांकन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से **60** दिन पहले की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

9.2.3 आवेदक (किसान उत्पादक संगठनों, एससी/एसटी, केंद्र/राज्य सरकार तथा उनके संगठनों को छोड़कर) "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय",नई दिल्ली के खाता संख्या **– 3516103454,** आईएफएसी कोड-सीबीआईएनओ **282169** (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली) में बयाना राशि के जमा (ईएमडी/निविदा प्रतिभूति) के रूप में रुपए 10,00,000 (दस लाख रुपए मात्र) अथवा कुल परियोजना लागत का **5**% जो भी कम हो आरटीजीएस/एनईएफटी के तहत ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। उपयुक्त आवेदकों के चयन के पश्चात, बयाना राशि असफल निविदाकर्ताओं को वापस अदा कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि मंत्रालय परियोजना के पूरे होने तक निष्पादन जमानत के रूप में अपने पास रखेगा। निष्पादन जमानत के रूप में रखी गई बयाना राशि परियोजना पूरी न करने की स्थिति में अथवा मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात परियोजना से हटने की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।

9.2.4 प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर समुचित संख्या देनी होगी और प्रस्ताव में प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ के रूप में अनुक्रमणिका होनी चाहिए जिसमें पृष्ठ संख्या देते हुए विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया गया हो, ऐसा न होने पर प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है।

9.3 कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में अपनी सहायता हेतु पारदर्शी एवं मुक्त निविदा प्रक्रिया के आधार पर कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करेगा।

9.4 परियोजना का अनुमोदन:

9.4.1 मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स का नेतृत्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मिशन पीएमए की सहायता से प्रस्ताव की संवीक्षा करेगा और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशें अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईमैक) को प्रस्तुत करेगा। मिशन की संरचना निम्नानुसार होगी:

i. अपर/संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष

ii. आर्थिक सलाहकार, खाप्रउमं-सदस्य

iii. प्रबंध निदेशक (एनएचएम) अथवा उनका नामिती- सदस्य

iv. प्रबंध निदेशक (नाफेड) अथवा उनका नामिती- सदस्य

v. प्रबंध निदेशक (एसएफएसी) अथवा उनका नामिती- सदस्य

vi. प्रबंध निदेशक (एनसीडीसी) अथवा उनका नामिती- सदस्य

vii. डीएसी एवं एफडब्ल्यू में ईएसए अथवा उनका नामिती- सदस्य

viii. संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) अथवा उनका नामिती- सदस्य

ix. अध्यक्ष, एपीडा अथवा उनका नामिती- सदस्य

x. नीति आयोग का प्रतिनिधि – सदस्य

xi. संयुक्त सचिव/निदेशक (वित्त), खाप्रउमं- सदस्य

xii. संबंधित राज्य का प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनका नामिती- सदस्य

xiii. मिशन निदेशक (राज्य बागवानी मिशन) ± सदस्य

xiv. वित्तीय संस्थान के रूप में नाबार्ड – सदस्य

xv. उप-सचिव/उप-निदेशक, खाप्रउमं- सदस्य सचिव

9.4.2 मिशन द्वारा प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मानदंड संलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

9.4.3 आवेदक को मिशन और आईमैक के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देना होगा। मिशन के पास अपनी अपेक्षा के अनुसार किसी भी मामले पर अधिक सूचना और स्पष्टीकरण मांगने के लिए आवेदक को बुलाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

9.4.4 परियोजना के अंतिम अनुमोदन, समग्र नीति-निर्देशन, विभिन्न घटकों के मानदंड निर्धारित करना और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की गईं विभिन्न स्कीमों के अभिसरण हेतु माननीय मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईमैक) होगी। आईमैक की संरचना निम्नानुसार होगीः

i. माननीय मंत्री, खाप्रउ- अध्यक्ष

ii. माननीय राज्य मंत्री, खाप्रउ- उपाध्यक्ष

iii. सचिव, खाप्रउमं- सदस्य

iv. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, खाप्रउमं- सदस्य

v. आर्थिक सलाहकार, खाप्रउमं-सदस्य

vi. डीओसी एवं एफडब्ल्यू का प्रतिनिधि- सदस्य

vii. नीति आयोग का प्रतिनिध- सदस्य

viii. नाबार्ड का प्रतिनिधि – सदस्य

ix. सिडबी का प्रतिनिधि-सदस्य

x. अपर/संयुक्त सचिव, खाप्रउमं- सदस्य सचिव

xi. संयुक्त सचिव, एमआईडीएच- सदस्य

xii. एमडी, एनएचएम- सदस्य

xiii. एमडी, नाफेड- सदस्य

xiv. एमडी, एसएफएसी- सदस्य

xv. एमडी, एनसीडीसी- सदस्य

xvi. ईएसए, डीएसी एवं एफडब्ल्यू – सदस्य

xvii. अपीडा- सदस्य

xviii. संबंधित राज्य का प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनका नामिती-सदस्य

xix. मिशन निदेशक (राज्य बागवानी मिशन) - सदस्य

9.5 निधियां जारी करना**:**

जब परियोजना को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका हो तब खाप्रउमं प्रत्येक किस्त के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन निम्नानुसार अनुदान जारी करेगा:

9.5.1 अनुमोदित अनुदान के 30 प्रतिशत की पहली किस्त पीआईए को दो हिस्सों- 10% की दर से पहला हिस्सा और 20% की दर से दूसरा हिस्सा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी किया जाएगा:

अनुमोदित अनुदान के **10%** की दर से पहली किस्त के पहले हिस्से के लिए शर्तें**: -**

i. न्यास एवं प्रतिधारण खाते (टीआरए) की स्थापना तथा किसी भी अधिसूचित वाणिज्यिक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ टीआरए समझौते पर हस्ताक्षर । खाते के प्रचालन के तरीके तथा पीआईए/टीआरए एजेंट के कार्य/ उत्तरदात्यिवों को स्पष्ट करते हुए टीआरए समझौते के मसौदे को मंत्रालय द्वारा पीआईए के साथ साझा किया जाएगा ।

ii. बोर्ड में मंत्रालय के नामिती निदेशक की नियुक्ति जहां पीआईए, परियोजना के निष्पादन के लिए बनाया गया एसपीवी (विशेष प्रयोजन उपाय) है। मंत्रालय के नामिती का कार्यकाल परियोजना के प्रचालन की सह-समाप्ति के साथ होगा।

iii. स्थापित करने की सहमति।

iv. मुख्य प्रसंस्करण स्थल/गौण प्रसंस्करण स्थल के लिए भूमि (सीएलयू सहित) की व्यवस्था।

v. कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 प्रतिशत के बराबर मूल्य का ठेका देना।

vi. परियोजना के पात्र घटकों पर पात्र परियोजना लागत के कम से कम 10% के व्यय की पुष्टि करते हुए संलग्नक- VII के अनुसार सीए का प्रमाण पत्र। यह व्यय, बैंक के सावधि ऋण तथा प्रमोटर की इक्विटी से समानुपातिक रुप से होना चाहिए। यदि बिक्रेताओं को मोबिलाजेशन एडवांस दिया गया है तो उसे पात्र व्यय तभी माना जाएगा जब इस प्रकार का एडवांस बैंक गारंटी के मुकाबले दिया गया हो अथवा पीआईए, मंत्रालय को बैंक गांरटी दे।

vii. नए एफपीओज बनाने/क्लस्टर में मौजूद एफपीओज के प्रोन्नयन तथा क्लस्टर में मौजूद एफपीओज/कृषक एवं कृषक समूह के साथ जुड़ाव के पंजीकरण/गठबंधन का प्रमाण।

viii. डीपीआर में यथा प्रस्तावित गुणवत्ता युक्त उत्पादन के संबंध में की गई व्यवस्था का प्रमाण।

ix. स्थल दौरे की रिपोर्ट के साथ उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हुए पीएमए की संस्तुति।

अनुमोदित अनुदान के **20%** की दर से पहली किस्त के दूसरे हिस्से के लिए शर्तें**: -**

i. पहली किस्त के पहले हिस्से के रूप में जारी अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र;

ii.परियोजना के पात्र घटकों पर पात्र परियोजना लागत के कम से कम से 30% के संचयी व्यय की पुष्टि करते हुए संलग्नक VII के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र। इस प्रकार का व्यय बैंक की सावधि ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी से समानुपातिक रूप से होगा।

iii.आनुपातिक भौतिक प्रगति**-** सीए प्रमाण पत्र में व्यय के किए गए दावे के अनुरूप, स्थल पर परियोजना में हुई वास्तविक भौतिक प्रगति का सत्यापन करते हुए पीएमए की जॉच रिपोर्ट जो बैंक के साथ संयुक्त रूप से की गई हो; तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (सिविल) का प्रमाण पत्र और अनुमोदित घटकों, लागत, मात्रा, विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, गुणवत्ता के बारे में की गई टिप्पणी तथा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मद वार प्रगति को दर्शाते हुए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र जिसपर संलग्नक VIII और XI के अनुसार प्रवर्तक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

iv. प्रस्तावित संग्रहण केन्द्रों/ खेत स्तर की अवसंरचना की संख्या के कम से कम 50% हेतु भूमि (सीएलयू सहित) की व्यवस्था;

v.लघु एवं सीमान्त किसानों की प्रस्तावित संख्या के कम से कम 30% को एफपीओज में शामिल करना;

vi.एफपीओज के क्षमता निर्माण, गुणवत्ता युक्त उत्पादन और खेत स्तरीय फसलोत्तर अवसंरचना प्रत्येक पर अनुमोदित अनुदान का न्यूनतम 30% का व्यय;

vii. स्थल दौरे की रिपोर्ट के साथ उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हुए पीएमए की संस्तुति।

9.5.2 अनुमोदित अनुदान के 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त पीआईए को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएगी:

i. पहली किस्त के दूसरे हिस्से के रुप में जारी अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण- पत्र ।

ii.परियोजना के पात्र घटकों पर पात्र परियोजना लागत के कम से कम से 55% के संचयी व्यय की पुष्टि करते हुए संलग्नक VII के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र । इस प्रकार का व्यय बैंक की सावधि ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी से समानुपातिक रूप से होगा ।

iii.आनुपातिक भौतिक प्रगति- सीए प्रमाण पत्र में व्यय के किए गए दावे के अनुरूप, स्थल पर परियोजना में हुई वास्तविक भौतिक प्रगति का सत्यापन करते हुए पीएमए की जॉंच रिपोर्ट जो बैंक के साथ संयुक्त रूप से की गई हो; तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (सिविल) का प्रमाण पत्र और अनुमोदित घटकों, लागत, मात्रा, विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, गुणवत्ता के बारे में की गई टिप्पणी तथा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मद वार प्रगति को दर्शाते हुए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र जिसपर संलग्नक VIII और XI के अनुसार प्रवर्तक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो ।

iv. प्रस्तावित संग्रहण केन्द्रों/ खेत स्तर की अवसंरचना की संख्या के कम से कम 100% हेतु भूमि (सीएलयू सहित) की व्यवस्था;

v.लघु एवं सीमान्त किसानों की प्रस्तावित संख्या के कम से कम 60% को एफपीओज में शामिल करना;

vi.एफपीओज के क्षमता निर्माण, गुणवत्ता युक्त उत्पादन और खेत स्तरीय फसलोत्तर अवसंरचना प्रत्येक पर अनुमोदित अनुदान का न्यूनतम 55% का व्यय;

vii. स्थल दौरे की रिपोर्ट के साथ उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हुए पीएमए की संस्तुति।

9.5.3 अनुमोदित अनुदान के 25 प्रतिशत की तीसरी किस्त पीआईए को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएगी:

i. दूसरी किस्त के रुप में जारी अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र ।

ii.परियोजना के पात्र घटकों पर पात्र परियोजना लागत के कम से कम से 80% के संचयी व्यय की पुष्टि करते हुए संलग्नक VII के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र । इस प्रकार का व्यय बैंक की सावधि ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी से समानुपातिक रूप से होगा ।

iii.आनुपातिक भौतिक प्रगति- सीए प्रमाण पत्र में व्यय के किए गए दावे के अनुरूप, स्थल पर परियोजना में हुई वास्तविक भौतिक प्रगति का सत्यापन करते हुए पीएमए की जॉंच रिपोर्ट जो बैंक के साथ संयुक्त रूप से की गई हो; तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (सिविल) का प्रमाण पत्र और अनुमोदित घटकों, लागत, मात्रा, विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, गुणवत्ता के बारे में की गई टिप्पणी तथा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मद वार प्रगति

को दर्शाते हुए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र जिसपर संलग्नक VIII और XI के अनुसार प्रवर्तक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो ।

iv. लघु एवं सीमान्त किसानों की कुल प्रस्तावित संख्या को एफपीओज में शामिल करना;

v. एफपीओज के क्षमता निर्माण, गुणवत्ता युक्त उत्पादन और खेत स्तरीय फसलोत्तर अवसंरचना प्रत्येक पर अनुमोदित अनुदान के 100% का व्यय;

vi. स्थल दौरे की रिपोर्ट के साथ उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हुए पीएमए की संस्तुति।

9.5.4. अनुमोदित अनुदान के 20 प्रतिशत की चौथी एवं अंतिम किस्त पीआईए को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएगी:

i. तीसरी किस्त के रुप में जारी अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र ।

ii.बैंक के सावधि ऋण और प्रवर्तक की इक्विटी के 100% व्यय की पुष्टि करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र।

iii.आनुपातिक भौतिक प्रगति- सीए प्रमाण पत्र में व्यय के किए गए दावे के अनुरूप, स्थल पर परियोजना में हुई वास्तविक भौतिक प्रगति का सत्यापन करते हुए पीएमए की जॉच रिपोर्ट जो बैंक के साथ संयुक्त रूप से की गई हो; तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (सिविल) का प्रमाण पत्र और अनुमोदित घटकों, लागत, मात्रा, विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, गुणवत्ता के बारे में की गई टिप्पणी तथा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मद वार प्रगति को दर्शाते हुए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र जिसपर संलग्नक VIII और XI के अनुसार प्रवर्तक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो ।

iv. परियोजना की शुरूआत - परियोजना के पूर्ण होने और वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की घोषणा जो बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो ।

v.प्रचालन की सहमति।

vi.यह उल्लेख करते हुए कि "परियोजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है" परियोजना/वाहन के अगले हिस्से पर स्पष्ट रूप से सूचना का प्रदर्शन ।

vii. स्थल दौरे की रिपोर्ट के साथ उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हुए पीएमए की संस्तुति।

viii. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पीएमए और/ अथवा बैंक के सदस्यों वाले दल द्वारा स्थल दौरा करते हुए संयुक्त निरीक्षण ।

9.6 समय अनुसूची

i. परियोजना के पूर्ण होने एवं कार्य शुरु करने की समय अनुसूची अनुमोदन की तारीख से 14 महीने होगी जब तक कि मंत्रालय द्वारा उसे समय विस्तार न दिया गया हो जिसके कारणों को रिकार्ड किया जाएगा ।

ii. अनुदान सहायता जारी करने की समय सीमा:

क्र.सं.	विवरण	समय अवधि
1	अनुमोदन की तारीख से पहली किस्त के पहले हिस्से को जारी करने तक	2 महीने
2	पहली किस्त के पहले हिस्से से लेकर दूसरा हिस्सा जारी करने तक	2 महीने
3	पहली किस्त से लेकर दूसरी किस्त जारी करने तक	3 महीने
4	दूसरी किस्त से लेकर तीसरी किस्त जारी करने तक	3 महीने
5	तीसरी किस्त से लेकर चौथी किस्त जारी करने तक	4 महीने

iii. परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय पीआईए जिस निर्धारित समय-सीमा के लिए सहमत हुआ हो, उसी के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करना होगा। प्राकृतिक आपदा तथा पीआईए के नियंत्रण से बाहर के मामलों को छोड़कर निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने के मामले में मंत्रालय, मामला- दर-मामला आधार पर अनुदान राशि को कम करने जैसे उपयुक्त दंड लगाने पर विचार कर सकता है।

iv. समय-सीमा का पालन न करने के मामले में निर्धारित समय-सीमा के उपरांत प्रत्येक महीने की देरी के लिए उस किस्त के लिए जारी की जाने वाली देय राशि की मात्रा के 1% के बराबर का दंड लगाया जाएगा। हालांकि, दंड की अधिकतम राशि पीआईए को जारी की जाने वाली किस्त के 10% से अधिक नहीं होगी। आईएमएसी, मामले की योग्यता के आधार पर देरी को माफ और दंड को समाप्त कर सकती है।

v. परियोजना के निष्पादन से पीआईए के हट जाने के मामले में और किसी भी कारण से पीआईए द्वारा परियोजना को पूरा न करने पर इस प्रकार के अनुदान को वापस करने के आदेश के संप्रेषण से 30 दिनों के भीतर जारी की गई अनुदान सहायता की राशि उत्पन्न ब्याज (जीएफआर के अनुसार) समेत पीआईए/प्रमोटर (रों) द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को वापस की जाएगी।

9.7 परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन

i. ऑपरेशन ग्रीन्स को खाप्रउमं में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में मिशन मोड पर चलाया जाएगा। समग्र नीति निदेश तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के संकेन्द्रण हेतु एक अंतर मंत्रालयी समिति होगी जिसकी अध्यक्षता सचिव, खाप्रउ एवं एसीएण्डएफडब्लू द्वारा की जाएगी। परियोजना की निगरानी में राज्य सरकारों तथा अन्य मंत्रालयों को भी शामिल किया जाएगा।

ii. परियोजना के समय से कार्यान्वयन हेतु निगरानी का लक्ष्य ''पीआईए द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन अनुसूची'' होगी और प्रचालन के उपरांत का लक्ष्य क्षमता उपयोग, टीओपी उपज की खरीद एवं बिक्री मूल्य, लाभान्वित हुए किसानों की संख्या तथा सृजित रोजगारों की संख्या इत्यादि होगा।

iii. मंत्रालय, डैश-बोर्ड ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित करेगा, जिसमें आउटकम-आउटपुट प्रारुप में दर्शाए गए अनुसार विस्तृत आउटकम एवं मापनीय संकेतकों को शामिल किया जाएगा।

iv. मंत्रालय, मध्यावधि सुधारों को अपनाने के क्रम में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में एफपीओज/ सहकारिताओं/पीआईए एवं अन्य पणधारियों से फीडबैक प्राप्त करेगा।

10. स्कीम के परिणाम**:**

संभावना है कि इस स्कीम के परिणामस्वरुप एफपीओज के व्यावसायिक विकास, फसलोत्तर हानियों में कमी, परिरक्षण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन, आपूर्ति श्रृंखला हेतु कृषि- लॉजिस्टिक्स के प्रावधान, उपभोक्ताओं तथा उत्पादनकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और टीओपी किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकने के माध्यम से एफपीओज का क्षमता विकास होगा ।

11. न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**:**

दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों, प्रस्तावों के चयन एवं स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर मामला, दिल्ली में अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालयों/ अधिकरणों के अधीन होगा।

नोट**:** यह स्कीम दिशानिर्देश दृष्टांत स्वरुप है और आवेदन पर विचार करते समय अन्य प्रासंगिक कारकों अथवा परिस्थितियों का ध्यान में रखा जाएगा।

संलग्नक**- I**

चयनित क्लस्टरों की सूची

(क) टमाटर का उत्पादन क्लस्टर**:**

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर का क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	चित्तूर, अनंतपुर
2	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
3	कनार्टक	कोलार, चिक्काबल्लापुर
4	ओडिशा	मयूरभंज, क्योंझार
5	गुजरात	साबरकांठा, आनंद, खेड़ा
6	तेलंगाना	रंगा रेड्डी, अदीलाबाद, विकाराबाद
7	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार, उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, अलीपुरदुआर

(ख) प्याज का उत्पादन क्लस्टर:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर का क्षेत्र
1	महाराष्ट्र	नासिक, अहमदनगर, जलगांव, नंदुरबार
2	मध्य प्रदेश	देवास, इंदौर, उज्जैन, खंडवा
3	कनार्टक	गदग, धारवाड़
4	गुजरात	भावनगर, अमरेली
5	बिहार	नालंदा

(ग) आलू का उत्पादन क्लस्टर:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्लस्टर का क्षेत्र
1	उत्तर प्रदेश	आगरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, अलीगढ़, फरूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद
2	पश्चिम बंगाल	हुगली , पूर्व बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा
3	बिहार	नालंदा, पटना, वैशाली
4	गुजरात	बनासकांठा ,साबरकांठा
5	मध्य प्रदेश	इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा
6	पंजाब	जालंधर , होशियारपुर, लुधियाना, कपूरथला

नोट: इस सूची को राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट तथा परियोजना के कार्यान्वियन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

संलग्नक-**II**

एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास प्रस्तावों के मूल्यांकन का मानदंड

क्र.सं.	मानदंड	अधिकतम अंक
क	किसानों/एफपीओज के साथ सहभागिता	**30**
क 1	एफपीओ/एफपीसी के रूप में संगठित एवं पंजीकृत किसानों की संख्या और उसके साथ टीओपी फसलों के लिए उनकी कुल कृषि भूमि धारिता	20
	एफपीओ/एफपीसी के रूप में संगठित एवं पंजीकृत किसानों की संख्या अथवा उनका संघ क. 5,000 किसानों से अधिक 5 ख. 3,000 से 5,000 4 ग. 1,000 से 3,000 3 घ. 1,000 से कम 2	5
	टीओपी फसलों के लिए कुल कृषि भूमि धारिता क. 5,000 एकड़ 15 ख. 3,000 से 5,000 12 ग. 1,000 से 3,000 9 घ. 1,000 से कम 6	15
क 2	किसानों/एफपीओज के साथ संविदा कृषि सहित दीर्घ आवधिक खरीद वापसी की व्यवस्था क. किसानों की उपज का 60% से अधिक # 10 ख. किसानों की उपज का 40% से 60% के बीच 5	10
ख	परियोजना के घटक	**10**
ख 1	एफपीओज तथा उनके संघ का क्षमता निर्माण	2
ख 2	गुणवत्ता उत्पादन	2
ख 3	फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं	2
ख 4	कृषि उपस्कर	2
ख 5	विपणन/खपत केंद्र	2
ग	क्षमता सृजन (उत्पादन के अनुरूप)	**25**
ग 1	खेत समीपस्थ मालगोदाम/शीतागार	5
ग 2	खपत केंद्रों पर स्थित मालगोदाम/शीतागार	5
ग 3	पैक हाउस (प्राथमिक प्रसंस्करण)	5
ग 4	द्वितीयक प्रसंस्करण क्षमता	10
घ	बाजार से जुड़ाव	**20**
घ 1	खुदरा श्रृंखला के साथ अग्र जुड़ाव	10

घ 2	ब्रांड निर्माण	3
घ 3	खुदरा आउटलेट्स की स्थापना	3
घ 4	प्रसंस्कृत उपजों के निर्यातक	4
ङ	राज्य सरकार की कंपनियों वाली पीआईए	**5**
च	प्रवर्तकों का अनुभव (खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा व्यापार, कृषि उपस्करों में प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए **1** अंक)	**10**
	कुल	**100**

अधिकतम अर्हता अंक **60** हैं ।

संलग्नक-**III**

आवेदन फार्म

1. आवेदक का ब्यौराः

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
i.	पूर्ण सम्पर्क ब्यौरे/पते, दूरभाष/फैक्स सं., मो. नं., ई-मेल सहित कंपनी/फर्म का नाम	
ii.	आवेदक की वैधानिक स्थिति (एफपीओ, सहकारी-संघ, कंपनी, स्व-सहायता समूह, केंद्रीय/राज्य सरकार तथा उनकी कंपनियां/संगठन आदि)	
iii.	पंजीकरण सं./सीआईएन	
iv.	पैन/टिन/टैन	
v.	आधार पंजीकरण सं.	

2. निदेशक(ओं)/प्रवर्तक(ओं)/साझीदार(ओं) का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रवर्तक(ओं)/साझीदार(ओं) का नाम	पता	दूरभाष/फैक्स सं., मो. नं., ई-मेल	आधार सं.	पैन सं.	शेयरधारिता का पैटर्न	निवल संपत्ति
कृपया अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें, यदि आवश्यक हो ।							

3. खाद्य/कृषि उपज प्रसंस्करण में मुख्य प्रवर्तक(ओं)/साझीदार(ओं)/आवेदक कंपनी का अनुभव

क्र.सं.	मुख्य प्रवर्तक(ओं)/साझीदार(ओं)/आवेदक कंपनी का नाम	अनुभव का ब्यौरा	टर्न- ओवर का ब्यौरा (वर्ष-वार)	संलग्न किए गए संबंधित दस्तावेज, यदि कोई हों (हां/नहीं)

4. प्रस्तावित परियोजना की प्रोफाइलः

(क) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल का ब्यौरा

(i) परियोजना घटकों का प्रस्तावित स्थल (ग्राम/जिला/राज्य का नाम)

(ii) अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)

(iii) कब्जे की स्थिति (स्वामित्व/पट्टे पर ली गई**)

(iv) भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की स्थिति

(v) पानी तथा बिजली कनेक्शन का साक्ष्य

(vi) पहुंच मार्ग की उपलब्धता का साक्ष्य

(vii) निर्देशांक का ब्यौरा (लम्बाई तथा चौड़ाई)

(viii) सोर्स्ड/हैंडल्ड होने वाली टीओपी फसलें

(ख) प्रस्तावित एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना

सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना (एकल घटक-वार) का निम्नलिखित प्रोफार्मा में ब्यौराः

क्र.सं.	सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का प्रकार (सांकेतिक सूची)	सं.	कुल क्षमता [मिट्रिक टन, मिट्रिक टन/घंटा, जहां-कहीं भी लागू हो]	बिल्ड-अप क्षेत्रफल	अनुमानित निवेश	एक वर्ष में प्रत्येक सुविधा के प्रचालन के दिनों की सं.
i.	नर्सरी/संरक्षित खेती आदि की स्थापना					
ii.	खेत स्तर पर भंडारण					
iii.	संग्रहण केंद्र (सीसी)/पैक हाउस					
iv.	मूल्य संवर्धन अवसंरचना					
v.	छंटाई, वर्गीकरण एवं पैकिंग सुविधा					

vi.	परिवहन अवसंरचना					
vii.	क्रेट्स, रैक्स					
viii.	मध्यम/बड़े पैमाने पर भंडारण अवसंरचना					
ix.	खुदरा आउटलेट्स की स्थापना					

5. परियोजना के लिए वित्त तथा व्यापार योजनाः

क. अनुमानित परियोजना लागत ब्यौरा (सभी घटकों का अलग-अलग ब्यौरा देते हुए)

मद	राशि (करोड़ रुपए)
भूमि	
भूमि विकास	
एफपीओज तथा उनके संघ का क्षमता निर्माण	
गुणवत्ता उत्पादन	
फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं	
कृषि उपस्कर	
विपणन/खपत केंद्र	
कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी	
आकस्मिक व्यय/प्रचालन-पूर्व व्यय	
कुल	

ख. प्रस्तावित वित्त के साधन(सभी घटकों का अलग-अलग ब्यौरा देते हुए)

स्रोत	राशि (करोड़ रुपए)
प्रवर्तकों का अंशदान/इक्विटी	
बैंक ऋण	
खाप्रउमं से अनुदान सहायता	
गैर जमानती ऋण/अंतरिम ऋण	
कुल	

ग. मूलभूत राजस्व अनुमान

मद	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
प्रत्येक कोर सुविधाओं के प्रचालनों के दिनों					

की सं.					
विभिन्न सुविधाओं से अर्जित होने वाला राजस्व					
टर्न-ओवर					
प्रचालनों की लागत					
सकल लाभ					
कराधान से पूर्व लाभ					

6. वित्तीय मापदंड (बैंक मूल्यांकन नोट के अनुसार)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा (अनुपात/%)	डीपीआर में पृष्ठ सं. का संदर्भ*
i.	रिर्टन की आंतरिक दर (आईआरआर) 1 अनुदान सहित 2 अनुदान के बिना		
ii.	औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)		
iii.	ब्रेक ईवेन प्वाइंट (बीईपी)		
iv.	ऋण-इक्विटी अनुपात		

7. अन्य ब्यौराः

एफपीओज के उत्पादन के लिए बाजार से जुड़ाव को दर्शाते हुए क्लस्टर व्यापार विकास योजना	
किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य तथा उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण हेतु प्रस्तावित रणनीति/कार्य-प्रणाली	
आंकड़ों के स्रोत को दर्शाते हुए आवाह क्षेत्र में टीओपी फसल-वार उपलब्ध कच्ची सामग्री	
आंकड़ों के स्रोत को दर्शाते हुए कच्ची सामग्री की मौसमी उपलब्धता के लिए फसल मैट्रिक्स	
नवोन्मेषित एवं पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का उपयोग	
परियोजना में शामिल प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का अनुमानित टर्न-ओवर	
अन्य कोई संबंधित ब्यौरा/दस्तावेज	

8. परियोजना का निष्कर्षः

i.लाभान्वित होने वाले संभावित किसानों की सं.

ii. टीओपी उपज का खरीद एवं बिक्री मूल्य (किसानों तथा उपभोक्ता के लाभ को दर्शाने के लिए)

iii.सृजित सुविधाओं का क्षमता उपयोग (टीओपी उपजों का मिट्रिक टन प्रति वर्ष में भंडारण)

iv. रोजगार सृजन अनुमान

क प्रत्यक्ष रोजगारः.....

ख अप्रत्यक्ष रोजगारः .....

v. संलग्नक**-III/**क के अनुसार आउटपुट-आउटकम संकेतक

9. अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत सृजन के ब्यौरे समेत परियोजना के प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित, यदि कोई हो, सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा।

आवेदक/मुख्य प्रवर्तक का हस्ताक्षर

दिनांकः**----------** स्थानः**.....**

संलग्नक-**III**/क

आउटपुट-आउटकम संकेतक

आउटपुटः

क्र.सं.	आउटपुट संकेतक	दिनांक ..... तक लक्ष्य	उपलब्धि
i.	टीओपी फसलों के संवर्धन हेतु सृजित नए एफपीओज की संख्या		
ii.	किसानों तथा एफपीओज के लिए आयोजित की गई प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की संख्या		
iii.	एफपीओज तथा संघ के लिए किए गए प्रोत्साहन कार्यकलापों की संख्या		
iv.	गुणवत्ता इनपुट्स जैसे कि बीज, वृद्धि रेगुलेटरों, खाद्य आदि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या		
v.	सृजित नर्सरियों तथा ग्रीन हाउसों की संख्या		
vi.	खेत स्तर पर सृजित भंडारण सुविधाओं की संख्या/टीओपी खेती की कुल संख्या		
vii.	टीओपी क्लस्टर के लिए तैयार की गई व्यापार योजना की संख्या		
viii.	छंटाई, वर्गीकरण तथा पैकिंग के लिए सृजित सुविधाओं की संख्या		
ix.	प्रचालनरत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या		
x.	कृषि-उपस्कर सृजन तथा उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए वित्तीय संसाधन की प्रतिशतता		
xi.	उपलब्ध कराई गई विपणन कार्यकलाप सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधन की प्रतिशतता		
xii.	एफपीओज द्वारा स्थापित किए गए खुदरा आउटलेट्स की संख्या		
xiii.	विकसित किए गए नए विपणन यार्डों की संख्या		

xiv.	वास्तविक समय मांग एवं आपूर्ति आंकड़ों के लिए क्या कोई नेटवर्क विकसित किया गया है।		
xv.	उन किसानों की संख्या जिन्हें कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई		

आउटकमः

क्र.सं.	आउटकम संकेतक	दिनांक ..... . तक लक्ष्य	उपलब्धि
i.	संधारणीय * एफपीओ तथा संघ सृजन की संख्या		
ii.	टीओपी क्लस्टरों के माध्यम से किसानों की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि		
iii.	फसलोत्तर हानियों में आई प्रतिशत कमी **		
iv.	टीओपी क्लस्टर के माध्यम से लाभान्वित हुए किसानों की संख्या/राज्यों में टीओपी फसल उगाने वाले किसानों की कुल संख्या		
v.	क्लस्टर में वर्तमान प्रचलित दर के साथ-साथ क्षेत्र में व्यापक बाजार		
vi.	सृजित नर्सरियों तथा ग्रीन हाउसों की संख्या		

* सृजित किया गया प्रति व्यक्ति राजस्व (निवल राजस्व/एफपीओ में किसानों की संख्या) (मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा)

**पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में संचयी मौसमी हानियां

संलग्नक **–IV**

वचन- पत्र

मैं.....(प्रमुख प्रमोटर/निदेशक/साझीदार/स्वामी आदि नाम) पुत्र श्री.....(पिता का नाम) निवासी.....(निवास का पता) एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ/ वचन देता हूँ:

1. यह कि मैं मैसर्स .....(लाभार्थी का नाम) का प्रमोटर/ निदेशक/ साझीदार/ स्वामी हूँ जिसका पंजीकृत कार्यालय.....(लाभार्थी के कार्यालय का पता) तथा पंजीकरण सं. .....है।

2. मैं एतद्वारा आवेदन करता हूँ और मैं स्वाधिकार/ प्रबंधन द्वारा की गई दिनांक ..... की अधिसूचना सं. .....द्वारा कंपनी/ साझीदारी फर्म/ सहकारी समिति आदि जिसका नाम .....है की ओर से इस वचन- पत्र समेत सभी अपेक्षित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा आवेदन करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हूँ तथा .....(परियोजना द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा) के लिए सर्वेक्षण सं. ....., ग्राम .....तहसील....., जिला....., राज्य.....पिन कोड.....(मुख्य सुविधा का स्थान) में स्थापित की जाने वाली एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना से संबंधित सभी तथ्यों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और ऑपरेशन ग्रीन की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अतंर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में आवेदन किया जा रहा है।

3. यह कि खा.प्र.उ.मं. की उपर्युक्त स्कीम जिसके अतंर्गत आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है के सभी नियम एंव शर्तों को मैंने भली - भांति पढ़कर समझ लिया है और मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक वचन देता हूँ कि इस परियोजना/प्रस्ताव में, अनुमोदन पत्र तथा स्कीम दिशानिर्देशों में दिए गए उपबंधों के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया है।

4. यह कि परियोजना/प्रस्ताव द्वारा शुरू किए जाने वाले सभी प्रस्तावित कार्यकलाप खा.प्र.उ.मं. की उपर्युक्त स्कीम के अतंर्गत आते हैं और परियोजना की स्कीम/ अवसंरचना के किसी भी भाग को इस प्रकार डिजाइन अथवा एसाइन नहीं किया गया है उसका उपयोग इस समय अथवा भविष्य में आवेदन में दिए गए निर्धारित कार्यकलापों से इतर किया जा सके।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि .....(आवेदक का नाम) ने उसी परियोजना, घटक, उद्देश्य अथवा कार्यकलाप हेतु भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग या राज्य सरकार अथवा उसकी एसेंजियों से कोई अनुदान न तो प्राप्त किया है और न ही उसके लिए आवदेन किया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक की अनुषंगी कंपनी(ओं)/ संबंधित कंपनी/ ग्रुप कंपनी तथा स्वंय आवेदक कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए पूर्व में खा.प्र.उ.मं. से वित्तीय सहायता नहीं ली है [यादि लाभ लिया गया हो तो अलग से ब्यौरा प्रस्तुत करें]।

7. मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह भी प्रतिज्ञा करता/ वचन देता हूँ कि आवेदन में दिए गए प्रस्तावित परियोजना के घटक पूरी तरह से नए कार्यकलाप हैं और वे पूर्व में मौजूद कार्यकलाप अथवा उसके घटक नही हैं।

8. इस संबंध में यदि कोई भी तथ्य छिपाया गया हो तो, खा.प्र.उ.मं. को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन/परियोजना को सीधे रद्द कर सकता है।

9. कम अनुदान कि अनुमत्यता अथवा भविष्य में अनुदान सहायता में की जाने वाली किसी कमी या परियोजना की लागत में आने वाली किसी बढोत्तरी के कारण होने वाले वित्तीय संसाधनों की कमी को मैं पूरा करुंगा।

10. अनुदान सहायता मंजूर करने वाले प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बगैर मैं सरकारी अनुदान से पूर्णतया अथवा पर्याप्त रुप से सृजित परिसंपत्तियों को न तो बेचूंगा न ही गिरवी रखूंगा और न ही उन उद्देश्यों से इतर उनका उपयोग करुंगा जिनके लिए वे स्वीकृत की गई हैं।

11. परियोजना का कार्यान्वियन न किए जाने / देर से किए जाने के मामले में, दिए गए अनुमोदन को रद्द करने का मंत्रालय को पूरा अधिकार होगा और जारी किए गए अनुदान को समय-समय पर यथा संशोधित जीएफआर के अनुसार ब्याज समेत वापस लेने का भी अधिकार होगा।

12. मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि स्कीम के अंतर्गत अनुदान केवल 31.03.2020 तक के लिए जारी की जाएगी इसलिए, परियोजना का सम्पूर्ण कार्य फरवरी, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर परियोजना के समाप्त कर दिया जाएगा और उस समय तक जारी किया गया अनुदान समय-समय पर यथा संशोधित जीएफआर के अनुसार ब्याज समेत वापस ले लिया जाएगा।

13. वाणिज्यिक प्रचालन शुरु होने के पश्चात कम से कम तीन वर्षों तक परियोजन का प्रचालन करने में असफल रहने के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित जीएफआर के अनुसार मैं, पूरी अनुदान सहायता ब्याज समेत वापस करुंगा /करुंगी।

14. परियोजना के अंतर्गत सृजित सुविधाओं के उपभोग शुल्कों / भाड़े की दरों को परियोजना/संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सार्वजनिक रुप से प्रचारित किया जाएगा। उसकी एक प्रति मंत्रालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

15. मैं यह भी वचन देता हूँ कि पात्रता की शर्तों इत्यादि के संबंध में आवेदन तथा डीपीआर में दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इनमें कुछ भी तथ्यात्मक रूप से छिपाया नहीं गया है।

दिनांक: ..... आवेदक/प्रमुख प्रमोटर के हस्ताक्षर

स्थान :.....

संलग्नक-V

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रारूप

i. परियोजना की स्थितिः

- □ राज्य का नामः
- □ टीओपी फसल उत्पादन का नामः टमाटर/प्याज/आलू
- □ क्लस्टर में स्थित जिले (ओं) का नामः

ii. पीआईए तथा प्रवर्तकों की प्रोफाइलः

- □ पीआईए/मुख्य प्रवर्तकों के मौजूदा व्यापार का ब्यौराः
- □ प्रवर्तकों का कृषि प्रसंस्करण व्यापार में अनुभवः

iii. क्लस्टर का आधार-रेखीय सर्वेक्षणः

विवरण (प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग)	मापदंड
संलग्नक-**V**/क के अनुसार टीओपी फसलों के खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (हेक्टेयर), उत्पादन (मिट्रिक टन), अधिसंख्य, पूर्व के मूल्य आदि से संबंधित आंकड़े	
मौजूदा एफपीओज का ब्यौरा	गठन का वर्ष; कंपनी/सहकारिता आदि के रूप में पंजीकृत; एसएफसीए/नाबार्ड/राज्य सरकार/अन्य एजेंसी द्वारा संवर्धित; किसानों की संख्या; खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र; कृषि-बागवानी उपज का प्रकार; पिछले पांच वर्षों का वर्ष-वार एवं फसल-वार उत्पादन (मिट्रिक टन) ; एफपीओ द्वारा सामना की गई चुनौतियां
मौजूदा उपयुक्त भंडारण सुविधाओं का ब्यौरा (अर्थात मालगोदाम/शीतागार)	अवस्थिति क्लस्टर से दूरी स्वामित्व का ब्यौरा सुविधा की प्रकृति क्षमता (मिट्रिक टन) उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर क्षमता का उपयोग
मौजूदा कृषि-उपस्कर सुविधाओं का ब्यौरा (अर्थात ट्रक/रीफर वैनें आदि)	सुविधा की प्रकृति क्षमता (मिट्रिक टन) उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर स्वामित्व का ब्यौरा प्रचालन का क्षेत्र क्षमता का उपयोग
मौजूदा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा - टमाटरः अर्थात प्यूरी, पेस्ट आदि - प्याजः सुखाया हुआ, फ्लेक, पाउडर आदि - आलूः चिप्स, फ्रेंच-फ्राई आदि	अवस्थिति सुविधा की प्रकृति क्षमता (मिट्रिक टन) उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर स्वामित्व का ब्यौरा क्लस्टर से दूरी

	क्षमता का उपयोग
मौजूदा बाजार जुड़ाव का ब्यौरा	संगठित खुदरा श्रृंखला का नाम आपूर्तिकृत फसलों की गुणवत्ता ब्रांड का नाम जिसके अंतर्गत फसलें बेची गईं
भंडारण/कृषि उपस्कर/खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की आवश्यकता	सुविधा की प्रकृति अनुमानित लागत क्षमता (मिट्रिक टन) उत्पादों का नाम ये कैसे बेचे जाएंगें अपेक्षित टीओपी फसलों की मात्रा

iv. प्रस्तावित एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाः

घटक (सांकेतिक सूची)	संबंधित फैक्टर (सांकेतिक फैक्टर/संबंधित दस्तावेज)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
क. किसान उत्पादक संगठनों की रचना और क्षमता निर्माण		
परियोजना के साथ जुड़े हुए किसानों/एफपीओज का ब्यौरा - किसानों की संख्या, उनकी भूमि- धारिता का आकार - उत्पादित कृषि- बागवानी उपजों का प्रकार (मिट्रिक टन) ; विभिन्न किस्मों की टीओपी फसलों को दर्शाते हुए	नए एफपीओ के गठन तथा/अथवा मौजूदा एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की लागत	
एफपीओज का क्षमता निर्माण- □ एफपीओज का प्रशिक्षण/कार्यशाला □ पेशेवर प्रबंधन सहायता	एफपीओ में प्रशिक्षण की प्रकृति एवं अवधि ; सीईओ तथा अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन	
ख. गुणवत्ता उत्पादन (एमआईडीएच/कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अन्य स्कीमों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)		
मृदा परीक्षण	दर तथा क्षेत्रफल	
गुणवत्ता इनपुट्स जैसे कि बीजों के लिए प्रावधान		
नर्सरी तथा ग्रीन हाउसों की स्थापना		
संरक्षित खेती की स्थापना		
खेती की पद्धतियों की क्रियाविधि		

फसल योजना	दर तथा क्षेत्रफल	
दोहरे उद्देश्य/प्रसंस्करण किस्म का संवर्धन		
ग. फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं		
संग्रहण केंद्रों की स्थापना	संख्या तथा क्षमता	दर तथा क्षेत्रफल
खेत स्तर पर भंडारण	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
खेत स्तर पर पैक हाउस	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
छंटाई/वर्गीकरण	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
मालगोदाम	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
शीतागार	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
निर्जलीकरण	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
चल प्रसंस्करण सुविधाएं	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
मूल्य संवर्धन अवसंरचना-प्रसंस्करण सुविधाएं	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
घ. कृषि उपस्कर		
एकीकृत मल्टी-मोड परिवहन	क्षमता सहित उपकरण	
नियंत्रित तापमान अथवा रैकिंग सहित / रैकिंग रहित वायु-संचालित ट्रक	क्षमता सहित उपकरण	
क्रेट्स, रैक्स	क्षमता सहित उपकरण	
मध्यम/बड़े पैमाने पर भंडारण	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
ङ. विपणन/खपत केंद्र		
कृषि/बाजार स्तर पर उपयुक्त भंडारण सुविधाएं	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
छंटाई,वर्गीकरण तथा पैकिंग सुविधाएं	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल
नए खुदरा आउटलेट्स की स्थापना	क्षमता सहित उपकरण	दर तथा क्षेत्रफल

नोटः

- टीओपी फसलों के लिए बाजार व्यवस्थाओं के बारे में ब्यौरा; संगठित खुदरा श्रृंखला के साथ जुड़ाव; प्रासंगिक संबंधित दस्तावेजों जैसे कि मौजूदा खुदरा श्रृंखला के साथ समझौता, अपीडा के साथ पंजीकरण, व्यापार घरानों के साथ समझौता आदि सहित ताजे एवं प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात।
    - घरेलू बाजार में बेची जाने वाली कुल ताजी टीओपी उपज;
    - निर्यात बाजार में बेची जाने वाली कुल ताजी टीओपी उपज;
    - मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए प्रसंस्कृत की जाने वाली कुल ताजी टीओपी उपज;

- संविदा खेती/किसानों के साथ दीर्घावधिक खरीद वापसी व्यवस्थाओं के बारे में ब्यौरा यह प्रदर्शित करते हुए देना कि उनका हस्तक्षेप किस प्रकार टीओपी फसलों की उपज में वृद्धि कारक होगा; खरीदी जाने वाली टीओपी फसलों की मात्रा; तथा अन्य प्रासंगिक सामग्रियां। संविदा खेती के मामले में, खेत स्तर की अवसंरचना जैसे कि वर्गीकरण, भंडारण एवं प्रसंस्करण की स्थापना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा।

- पीआईए को परियोजना में नाबार्ड, एसएफएसी, राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा समर्थित क्लस्टर में मौजूदा एफपीओज को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

- प्रत्येक घटक के लिए अनुमानों के साथ लागत अनुमानों को दर्शाते हुए विस्तृत गणनाशीट का ब्यौरा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- पीआईए को परियोजना के लिए तकनीकी तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नवोन्मेषित तथा पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का उपयोग जहां-कहीं उसकी आवश्यकता हो, करना चाहिए।

v. क्लस्टर व्यापार योजना

- लागत-लाभ विश्लेषण

- लाभ एवं हानि लेखे के विभिन्न घटकों, बैलेंस शीट, रोकड़-प्रवाह विवरण आदि को दर्शाते हुए अगले **7** वर्षों के लिए वित्तीय अनुमान**,** मुख्य वित्तीय संकेतक जैसे कि लाभकारिता, आईआरआर, डीएससीआर आदि (प्रत्येक मुख्य वित्तीय संकेतकों की गणना अलग-अलग दर्शायी जानी चाहिए तथा इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए)

- प्रस्तावित वित्त के साधन

	लाख रुपए	%
इक्विटी/पूंजी के रूप में प्रवर्तकों का अंशदान		

सावधि ऋण		
प्रवर्तकों/अथवा उनके संबंधियों से गैर-जमानती ऋण		
खाप्रउमं से अनुदान सहायता		
अन्य सरकारी एजेंसियों से अनुदान सहायता		

vi. परियोजना के निष्कर्ष का सारांश

संलग्नक-III/क में यथा अपेक्षित आउटपुट एवं आउटकम संकेतकों पर जानकारी के अलावा, निम्नलिखित सूचना डीपीआर का एकीकृत भाग होनी चाहिएः

- सृजित क्षमता मिट्रिक टन प्रतिवर्ष में -इनपुट एवं आउटपुट क्षमता
    - संचलित की जाने वाली कृषि-बागवानी उपजों के प्रकार को घटक-वार दर्शाते हुए
- सृजित प्रत्यक्ष रोजगार की संख्याः
- सृजित अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्याः
    - अप्रत्यक्ष रोजगार की गणना का अनुमान दर्शाते हुए
- लाभान्वित किसानों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला) की संख्याः
- परियोजना द्वारा संचलित टीओपी फसलों की मात्राः
- किसानों को कितना लाभ पहुंचा सकती हैं?
    - आधाररेखीय सर्वेक्षण- आवाह क्षेत्र में किसानों की वर्ष 2018 में आय; वर्ष 2020 में किसानों की आय (परियोजना के प्रचालनरत हो जाने के पश्चात)
- बर्बादी में कितनी कमी आ सकती है?
    - आधाररेखीय सर्वेक्षण- टीओपी फसलों में वर्ष 2018 में मौजूदा बर्बादी; वर्ष 2020 में टीओपी फसलों में बर्बादी (परियोजना के प्रचालनरत हो जाने के पश्चात)

संलग्नक-**V**/क

(i) वर्ष **2018, 2017, 2016** के लिए उत्पादन आंकड़े

महीने	तालिका किस्म/प्रसंस्करणीय किस्म/दोहरा उद्देश्य (प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए)				
	खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मिट्रिक टन)	खपत (मिट्रिक टन)	अधिसंख्य (मिट्रिक टन)	औसत थोक मूल्य (रुपए प्रति किलो)
जनवरी**,18**					
फरवरी,18					
मार्च,18					
अप्रैल,18					
मई,18					
जून,18					
जुलाई,18					
अगस्त,18					
सितम्बर,18					
अक्तूबर,18					
नवम्बर,18					
दिसम्बर,18					
जनवरी**,17**					

(ii) वर्ष **2018, 2017, 2016** के लिए वार्षिक उत्पादन आंकड़े

महीने	तालिका किस्म/प्रसंस्करणीय किस्म/दोहरा उद्देश्य (प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए)				
	खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मिट्रिक टन)	खपत (मिट्रिक टन)	अधिसंख्य (मिट्रिक टन)	औसत थोक मूल्य (रुपए प्रति किलो)
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					

(iii) <u>अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा</u>

सुविधा का नाम (सांकेतिक सूची)	आंकी गई अधिसंख्य उपज पर आधारित कुल आवश्यकता		मौजूदा अवसंरचना का ब्यौरा		अपेक्षित अतिरिक्त अवसंरचना	
	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)
खेत स्तर पर मालगोदाम						
खपत केंद्र पर मालगोदाम						
अन्य स्थल पर मालगोदाम						
खेत स्तर पर शीतागार						
खपत केंद्र पर शीतागार						
अन्य स्थल पर शीतागार						
खेत स्तर पर पैक हाउस						
खपत केंद्र पर पैक हाउस						
अन्य स्थल पर पैक हाउस						
प्रसंस्करण सुविधाएं						

(iv) <u>कृषि-लॉजिस्टिक ब्यौरा</u>

सुविधा का नाम (सांकेतिक सूची)	आंकी गई अधिसंख्य उपज पर आधारित कुल आवश्यकता		मौजूदा अवसंरचना का ब्यौरा		अपेक्षित अतिरिक्त अवसंरचना	
	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)	सं.	क्षमता (मिट्रिक टन)
रीफर वैनें						
ट्रक (वेन्टिलेटेड)						
मिनी -ट्रक						
क्रेट्स, रैक्स आदि						

संलग्नक- **VI**

परिवहन तथा मालगोदाम के लिए दी जानी वाली सब्सिडी हेतु लागत मानदंड

स्कीम दिशानिर्देशों के मसौदे तथा परियोजना के विभिन्न घटकों के लागत मानदडों पर विचार-विमर्श करने के लिए डीएसी एण्ड एफडब्लू, डीएफएस, एमआईडीएच, एनसीडीसी, एनएएफईडी, एसएफएसी, नाबार्ड तथा टमाटर, आलू एवं प्याज (टीओपी) का उत्पादन करने वाले प्रमुख्य राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 17.09.2018 को अतंरमंत्रालयी विचार-विमर्श बैठक आयोजित की गई थी।

2. नफेड ने नासिक से दिल्ली (~1,286 कि.मी) तक प्याज के परिवहन शुल्क और प्याज को खुली हवादार संरचना में भंडारण पर आने वाले भंडारण शुल्क का ब्यौरा दिनांक 18.09.2018 के पत्र के माध्यम से निम्नानुसार दिया है:

प्याज के परिवहन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दिया गया कुल परिवहन शुल्क

क्र.सं.	प्रचालन वर्ष	दुलाई की मात्रा (मि.ट.)	परिवहन पर खर्च की गई राशि (रुपए)	औसत परिवहन शुल्क (रु प्रति मि.ट.)
1	2015-16	1,788.32	62,23,371	3,480
2	2016-17	2,653.99	1,04,30,170	3,930
3	2017-18	4,821.71	1,71,74,303	3,561
	पिछले तीन वर्षों का औसत परिवहन शुल्क			**3,657**
	प्रति मि.ट. प्रति किलो मीटर औसत दर			**2.84**

पिछले दो वर्षों के दौरान {पूरे मौसम के लिए अर्थात 4-6 महीने} प्याज को खुली हवादार संरचना में भंडारण पर लगने वाला भंडारण शुल्क

क्र.सं.	प्रचालन वर्ष	रखी गई मात्रा (मि.ट.)	प्याज के भंडारण पर खर्च की गई राशि (रुपए)	औसत भंडारण शुल्क (रु प्रति मि.ट.)
1	2015-16	2,384.43	23,84,434	1,000
2	2016-17	4,813.36	51,50296	1,070

3	2017-18	प्याज का भंडारण नहीं किया गया		लागू नहीं
	पिछले तीन वर्षों का औसत परिवहन शुल्क			1,035
	प्रति मि.ट. प्रति मौसम (**6** महीने) औसत दर			1,035

3. अंतर मंत्रालयी समिति के विचार-विमर्श के आधार पर सब्सिडी की गणना करने के लिए निम्नलिखित लागत मानदडों का निर्णय किया गया :

क. परिवहन की दर निम्नलिखित से कम होगी :

i. राज्य/क्षेत्र के ट्रक यूनियन द्वारा निर्धारित दर;

ii. ढुलाई की वास्तविक दर;

iii. रु.2.84 प्रति मि.टन. प्रति किलो मीटर

ख. मालगोदाम की दर निम्नलिखित से कम होगी :

i. राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरें अथवा शीतागार संघों द्वारा निर्धारित दरें;

ii. भंडारण की वास्तविक दर;

iii. 6 महीनों के लिए रु 1,035 प्रति मि.टन. (भंडारण की अवधि के आधार पर समानुपातिक रुप से समायोजन किया जाना चाहिए)।

4. रेलवे द्वारा ढुलाई के लिए परिवहन शुल्क वास्तविक रेल किराए के अनुसार होगा।

5. परिवहन/भंडारण की दर में कोई महत्वपूर्ण अंतर आ जाने के मामले में सब्सिडी की गणना करने के लिए खा.प्र.उ.मं. द्वारा गठित समिति दरों का निर्धारण करेगी।

संलग्नक – **VII**

चार्टर्ड एकाउटेंट (सीए) के प्रमाण पत्र का प्रारुप

(सीए का पत्र शीर्ष)

निम्नलिखित प्रारुप में सीए का प्रमाण पत्र (सीए की सदस्यता संख्या तथा फर्म की पंजीकरण संख्या सहित)

i परियोजन लागत: (लाख रुपए)

क्र.स.	घटक (क्षमता सहित)	स्थान	क्षमता/संगत घटक	क्षेत्र सहित सिविल लागत	पी एंड एम लागत	कुल लागत	वास्तविक व्यय
1	1 क. भूमि की लागत 1 ख. भूमि विकास प्रभार						
2	एफपीओज की क्षमता का निर्माण 2 क. नए एफपीओज के गठन की लागत 2 ख. एफपीओज की क्षमता का निर्माण 2 ग. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
3	गुणवत्ता उत्पादन 3 क. नर्सरी की स्थापना 3 ख. संरक्षित खेती की व्यवस्था करना 3 ग. कृषि पद्धति का यांत्रिकीकरण (उपकरण का नाम दें) 3 घ. गुणवत्ता बीजों						

	की व्यवस्था 3 ङ. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
4 क.	फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं- खेत पर (मुख्य प्रसंस्करण स्थान से भिन्न स्थानों पर) 4 क. एकत्रण केंद्र 4 ख. शीतागार 4 ग. प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा 4 घ. लघु गौण प्रसंस्करण 4 ङ. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
4 ख.	फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाएं- मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर 4 क. शीतागार 4 ख. प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा 4 ग. गौण प्रसंस्करण सुविधा 4 घ. यूटीलिटीज- ईटीपी 4 ङ. यूटीलिटीज- बॉयलर 4 च. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
5	कृषि-लॉजिस्टिक्स 5 क. नियंत्रित ताप ट्रक 5 ख. हवादार ट्रक इत्यादि 5 ग. क्रेटें, रैकें						

	इत्यादि 5 घ. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
6	विपणन/उभोग केंद्र 6 क. शीतागार 6 ख. छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग सुविधा 6 ग. खुदरा दुकानों की स्थापना 6 घ. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
7	प्रचालन-पूर्व व्यय						
	अन्य						
	कुल परियोजना लागत						

ii वित्त के साधन**:-** (लाख रुपए)

क्र.सं.	मद	राशि
1	प्रमोटर की इक्विटी	
2	सावधि ऋण	
3	खाप्रउमं का अनुदान	
4	असुरक्षित ऋण*	
5	अन्य	

*ऋणदाताओं की पैन संख्या, यदि कोई हो, समेत गैर जमानती ऋण का ब्यौरा जिसे सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

सीए का हस्ताक्षर एवं मोहर (कम्पनी के मामले में वैधानिक ऑडिटर)

दिनांक**:.....**

(सीए द्वारा प्रमाणन, परियोजना से सबंधित लेखा बही, बिल, इनवॉयस, कार्य आदेश, बैंक विवरण आदि के सत्यापन के आधार पर होना चाहिए)

मोहर समेत प्रमोटर/ कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के प्रतिहस्ताक्षर

संलग्नक – **VIII**

तकनीकी सिविल कार्य के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) के प्रमाण पत्र का प्रारुप

(सीई का पत्र शीर्ष)

निम्नलिखित प्रारुप में सीई का प्रमाण पत्र (सीई की सदस्यता/ पंजीकरण संख्या सहित)

परियोजना का नाम:

पता समेत अवस्थिति:

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्थल दौरे की तारीख:

परियोजना की प्रगति : (यदि परियोजना कई जगह पर स्थित हो तो प्रत्येक अवस्थिति के लिए निम्नलिखित प्रारुप में अवस्थिति-वार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र.सं.	घटक का नाम	प्रस्तावित /अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रस्तावित / अनुमानित लागत (लाख	वास्तविक क्षेत्रफल(वर्ग मीटर)	वास्तविक लागत (लाख रुपए)	प्रति यूनिट दर (रुपए प्रति वर्ग वर्ग	कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में टिप्पण	गुणवत्ता, निमार्ण मानकों तथा बाजार दरों के बारे में
								टिप्पणिय
	कुल							

प्रमाणित किया जाता है कि तकनीकी सिविल कार्य में उपयोग की गई सामग्री/घटक नए हैं।

सीई का हस्ताक्षर एवं मोहर

मोहर समेत प्रमोटर/ कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के प्रतिहस्ताक्षर

संलग्नक –IX

तकनीकी सिविल कार्य के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) के प्रमाण पत्र का प्रारुप

(सीई का पत्र शीर्ष)

निम्नलिखित प्रारुप में सीई का प्रमाण पत्र (सीई की सदस्यता/ पंजीकरण संख्या सहित)

परियोजना का नाम:

पता समेत अवस्थिति:

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्थल दौरे की तारीख:

परियोजना की प्रगति : (यदि परियोजना कई जगह पर स्थित हो तो प्रत्येक अवस्थिति के लिए निम्नलिखित प्रारुप में अवस्थिति-वार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र.सं.	घटक का नाम	प्रस्तावित / अनुमानित मात्रा	प्रस्तावित / अनुमानित लागत (लाख रुपए)	वास्तविक मात्रा	वास्तविक लागत(लाख रुपए)		आपूर्तिकर्ता/ विनिमार्ता	कार्यान्वयन की स्थिति	गुणवत्ता, विशेष विवरण आदि के बारे में टिप्पणियां
					मूल लागत	कर, भाड़ा, अधिष्ठापन, बीमा			
	घटक-1							<u>जैसे कि:</u> ☐ आदेशित ☐ स्थल पर प्राप्त ☐ अधिष्ठापन प्रगति पर_ ☐ अधिष्ठापित ☐ शुरु _	
	घटक-2								
	घटक-3								
	कुल								

प्रमाणित किया जाता है कि सभी संयंत्र एवं मशीनरी जिसके लिए अनुदान का अनुमोदन किया गया है नए हैं ।

सीई का हस्ताक्षर एवं मोहर

मोहर समेत प्रमोटर/ कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के प्रतिहस्ताक्षर

ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के अंतर्गत भरमार उत्पादन के समय टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए अल्पकालिक **"मूल्य स्थिरीकरण उपायों "** के लिए आवेदन प्रपत्र

1) राज्य का नाम: .....

2) टीओपी फसल का नाम: ..... किस्म.....

3) स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित जिले और एपीएमसी/मंडियों का ब्यौरा: -

क्र.सं.	जिला का नाम	मंडी का नाम	.....से ..... तक भरमार उत्पादन की अवधि	प्रत्याशित आवक (मीट्रिक टन)	बाजार मूल्य स्थिर करने के लिए निकाली जाने वाली मात्रा (मीट्रिक टन)	हटाई गई टीओपी फसल के निष्तारण हेतु सबसे उपयुक्त निपटान स्थल	
						जिला का नाम	पैकिंग और लोडिंग प्रभार सहित सबसे उपयुक्त स्थान तक ट्रक लोड की दर
क)							
ख)							
ग)							

4) उपरोक्त प्रस्तावित जिला/मंडियों के पिछले तीन वर्षों की मूल्य सूचना:-

वर्ष		2018-19		2017-18		2016-17	
जिला का नाम	एपीएमसी/मंडी का नाम	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)

वर्ष		2018-19		चालू वर्ष (2019-20)		पिछले वर्षों की तुलना में % विचलन	पिछले वर्षों की तुलना में % विचलन	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया बैंचमार्क मूल्य यदि कोई हो
जिला का नाम	एपीएमसी/मंडी का नाम	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)	आवक (मी.ट.)	मूल्य (प्रति मी.ट.)	

5) ऑंकड़ों का स्रोत.....

सचिव (कृषि/बागवानी/अन्य संगत मंत्रालय)